रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042024-253877
CG-DL-E-26042024-253877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946
No. 294] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

(विनियम बनाने तथा समीक्षा करने के लिए तंत्र) विनियम, 2024

फ़ाइल सं. पीएफआरडीए-12/01/0001/2023-विधि.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ.

(1) इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियम बनाने तथा समीक्षा करने के लिए तंत्र) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) किसी अन्यथा प्रावधान के अलावा, ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम प्राधिकरण द्वारा उसके संगठनात्मक मामलों से संबंधित बनाए गए विनियमों पर प्रवृत्त नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" अर्थात पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) है;

(ख) "प्राधिकरण" अर्थात अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है;

(ग) "अध्यक्ष" अर्थात प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं;

(घ) "आंतरिक समीक्षा समिति" अर्थात अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के नामित अधिकारियों से बनी समिति है; और

(ङ) "विनियम सलाहकार समिति" अर्थात विनियम 7 के तहत अध्यक्ष द्वारा गठित सलाहकार समिति है।

अध्याय II

विनियम बनाना और समीक्षा करना

3. विनियम बनाना.

प्राधिकरण, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है। इस प्रयोजन के लिए, अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सामाजिक-आर्थिक वातावरण और उद्योग की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखा जा सकता है।

4. विनियमों की आवधिक समीक्षा.

अभिदाताओं के हित में, विनियमों की समीक्षा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के बाद समय-समय पर की जा सकती है, जिसमें अनुपालन लागत को तर्कसंगत बनाने, सुविधाजनक रूप से व्यापार करने या किसी भी विनियम या प्रावधान में संशोधन या निरस्त करने के पहलू शामिल हैं:

(क) इसके उद्देश्य और परिणाम;

(ख) इसका प्रवर्तन और अन्य कानूनी पहलू;

(ग) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ, यदि कोई हों;

(घ) सिद्धांत-आधारित विनियमों की आवश्यकता; या

(ङ) प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझा गया कोई अन्य कारक।

5. सार्वजनिक परामर्श.

(1) विनियम बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण सार्वजनिक टिप्पणियाँ (सक्रिय हितधारक परामर्श सहित) मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित अपलोड कर सकता है:

(क) अधिनियम का विशिष्ट प्रावधान, जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा विनियम बनाने का प्रस्ताव किया जाता हो;

(ख) प्रस्तावित विनियमों द्वारा निवारण की गई समस्या का एक विवरण;

(ग) प्रस्तावित विनियमों का मसौदा;

(घ) इन विनियमों के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विनियमों का आर्थिक विश्लेषण;

(ङ) प्रस्तावित विनियमों के लिए विनियम निर्धारण एजेंसियों द्वारा समर्थित मानकों और प्रासंगिक सर्वोत्तम प्रथाओं, यदि कोई हो, को दर्शाने वाला एक विवरण;

(च) सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया, पद्धति और समय-सीमा; और

(छ) प्रस्तावित विनियमों को लागू करने की पद्धति।

(2) प्राधिकरण जनता को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय देगा।

(3) प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की समीक्षा करेगा और विनियमों की अधिसूचना के साथ अपनी प्रतिक्रिया के एक सामान्य विवरण के साथ वेबसाइट पर प्राप्त टिप्पणियां प्रकाशित करेगा।

(4) यदि प्राधिकरण प्रस्तावित विनियमों से काफी भिन्न रूप में विनियम बनाने का निर्णय लेता है, तो वह अपेक्षित सीमा तक इस विनियम के तहत प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

(5) ये विनियम इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे, जब तक कि इसमें कोई अलग तिथि निर्दिष्ट न की जाए।

(6) इन विनियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, जब भी उचित समझे, विनियमों की समीक्षा के लिए अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार एक विनियम सलाहकार समिति का गठन कर सकता है।

6. आर्थिक विश्लेषण.

(1) प्राधिकरण को प्रस्तावित विनियमों के आर्थिक विश्लेषण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, जिसे सीधे या किसी बाहरी विशेषज्ञ संस्था के माध्यम/द्वारा किया जा सकता है।

(2) आर्थिक विश्लेषण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रस्तावित विनियम के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभिदाताओं, हितधारकों, अर्थव्यवस्था और समाज की अपेक्षित लागत और लाभ;

(ख) प्रस्तावित विनियम द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों का अग्रसारण; और

(ग) प्रस्तावित विनियम के न होने का प्रभाव

अध्याय III

विनियम सलाहकार समिति

7. विनियम सलाहकार समिति का गठन एवं संरचना.

(1) विनियम 3 और 4 के प्रयोजन के लिए, अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को नामित करके एक विनियम सलाहकार समिति का गठन किया जा सकता है :

(क) प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य;

(ख) अधिकतम तीन स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ; और

(ग) प्राधिकरण से एक कार्यकारी निदेशक, जो समिति का संयोजक होगा।

(2) स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों को निम्नलिखित के आधार पर नामांकित किया जाएगा :

(क) अर्थशास्त्र, वित्त, कानून या पेंशन क्षेत्र के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति; और

(ख) ऐसे किसी भी हितों से टकराव नहीं होना चाहिए, जो उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निभाने को प्रभावित करता हो।

(3) अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों में से एक को समिति का अध्यक्ष नामित किया जाएगा।

(4) स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों सहित समिति के सदस्यों को विनियम सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए तदर्थ आधार पर नामित किया जाएगा। यदि समिति में कोई रिक्ति होती है, तो अध्यक्ष द्वारा शेष अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य सदस्य को नामित किया जा सकता है।

8. समिति द्वारा समीक्षा का कार्यक्षेत्र.

(1) यह समिति, आंतरिक समीक्षा समिति द्वारा उसके समक्ष लाए गए प्रस्तावित विनियमों या संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित के आधार पर अपनी अनुशंसाएं दे सकती है:

(क) अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा;

(ख) सुविधाजनक व्यापार, इष्टतम विनियम और संतुलन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन की कम लागत;

(ग) विनियमों के माध्यम से पारदर्शिता, उन्नत प्रकटन और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करना;

(घ) प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्थापत्य को मजबूत करने के लिए जोखिम का प्रबंधन करना; और

(ङ) अन्य प्रासंगिक कारक, यदि कोई हो।

9. समिति की बैठकें.

(1) समिति की बैठक ऐसे अंतराल पर की जाएगी, जो वह उचित समझे।

(2) कामकाज के संचालन के लिए आवश्यक कोरम समिति की कुल संख्या का दो-तिहाई होगा।

(3) बैठकें प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में आयोजित की जाएंगी । बैठकों के लिए नोटिस और कार्यसूची आम तौर पर संयोजक द्वारा समिति को कम से कम सात दिन पहले परिचालित किया जाएगा।

(4) बैठक के कार्यवृत्त को ऐसे रूप और पद्धति से दर्ज किया जाएगा जैसा समिति के अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए।

(5) संयोजक ही समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(6) अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए समिति को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. समिति की अनुशंसाएं.

(1) समिति, विनियम 8 के अनुसार प्रस्तावित विनियमों या विनियमों में संशोधन के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

(2) ऐसी अनुशंसाओं को प्रस्तावित विनियमों या उनमें किसी भी संशोधन के साथ, अधिनियम की धारा 45 के तहत गठित पेंशन सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(3) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के तहत प्रस्तुत अनुशंसाओं और अधिनियम की धारा 45 के अनुसार प्रदान की गई पेंशन सलाहकार समिति की अनुशंसाओं पर, जैसा वह उचित समझे, विचार कर सकता है।

अध्याय IV

विविध

11. अत्यावश्यक विनियम.

जहां प्राधिकरण की राय हो कि अभिदाताओं के हित में कोई बहुत ज़रूरी विनियम तत्काल बनाने की आवश्यकता है या मौजूदा विनियमों को तत्काल संशोधित या निरस्त करने की आवश्यकता है तो, यह, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट सभी या किसी भी आवश्यकता का पूर्णतया अनुपालन किए बिना, मामले के अनुसार, ऐसे विनियम को बना, मौजूदा विनियमों या उनके प्रावधानों को संशोधित या निरस्त कर सकता है।

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./063/2024-25]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (MECHANISM FOR MAKING AND REVIEW OF REGULATIONS) REGULATIONS, 2024

File No. PFRDA-12/01/0001/2023-LEGAL.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority, hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.

(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Mechanism for Making and Review of Regulations) Regulations, 2024.

(2) Save as otherwise provided, these regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall not apply to regulations made by the Authority concerning its organizational matters.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "Authority" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(d) "Internal Review Committee" means the committee consisting of officers of the Authority nominated by the Chairperson; and

(e) "Regulations Advisory Committee" means the advisory committee constituted by the Chairperson under regulation 7.

CHAPTER II

MAKING AND REVIEW OF REGULATIONS

3. Making regulations.

The Authority may, make regulations consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder. For this purpose, regard may be had to the socio-economic environment and industry global best practices, to protect the interest of subscribers.

4. Periodic review of regulations.

The review of regulations may be periodically conducted in the interest of the subscribers, including on the aspect of rationalizing the compliance cost, ease of doing business or to amend or repeal any regulations or provisions thereof, after considering the following: -

(a) its objectives and the outcome;

(b) its enforcement and other legal aspects;

(c) global best practices, if any;

(d) need for principle-based regulations; or

(e) any other factor considered relevant by the Authority.

5. Public consultation.

(1) For the purpose of making regulations, the Authority may upload the following on its website for seeking public comments (including active stakeholder consultation): -

(a) the specific provision of the Act, under which the Authority proposes to make regulations;

(b) a statement of the problem addressed by the proposed regulations;

(c) draft of proposed regulations;

(d) an economic analysis of the proposed regulations carried out in accordance with the provisions of regulation 6 of these regulations;

(e) a statement carrying norms advocated by regulation setting agencies and the best practices, if any, relevant to the proposed regulations;

(f) the process, manner, and timelines for receiving public comments; and

(g) the manner of implementing the proposed regulations.

(2) The Authority shall allow a minimum of thirty days for the public to submit their comments.

(3) The Authority shall review and publish the public comments received on its website, accompanied by a general statement of its response, with the notification of regulations.

(4) If the Authority decides to make regulations in a form substantially different from the proposed regulations, it may to the extent required, follow the process under this regulation.

(5) The regulations shall be enforceable from the date of its notification unless a different date is specified therein.

(6) Without prejudice to the provisions of these regulations, the Authority may constitute a Regulations Advisory Committee in accordance with the provisions of Chapter III for the review of regulations, whenever it deems appropriate.

6. Economic analysis.

(1) The Authority may be guided by an economic analysis of the proposed regulations, to be made either directly or through an external expert agency.

(2) The economic analysis shall inter alia include the following: -

(a) expected costs and benefits to subscribers, stakeholders, economy and the society, both direct and indirect, due to the proposed regulation;

(b) how the proposed regulations further the objectives of the Act; and

(c) cost of not having the proposed regulations.

CHAPTER III

REGULATIONS ADVISORY COMMITTEE

7. Constitution and composition of the Regulations Advisory Committee.

(1) For the purpose of regulation 3 and 4, the Chairperson may constitute a Regulations Advisory Committee, by nominating the following members: -

(a) A whole time member of the Authority;

(b) Not more than three independent external experts; and

(c) An executive director of the Authority, who shall be the convenor of the Committee.

(2) The independent external experts shall be nominated on the basis of the following: -

(a) A person of eminence with knowledge and experience in the field of economics, finance, law or any other field considered relevant for the pension sector; and

(b) Absence of any conflict of interest, which could influence performance of their duties and responsibilities.

(3) The Chairperson shall nominate one of the independent external experts to be the chair of the Committee.

(4) The members of the Committee, including the independent external experts, shall be nominated on ad hoc basis to serve as members of the Regulations Advisory Committee. If a vacancy arises in the Committee, the Chairperson may nominate another member, as the case may be, for the residual period.

8. Scope of review by the Committee.

(1) The Committee may give its recommendations on the proposed regulations or amendments, as may be placed before it by the Internal Review Committee, based on the following: -

(a) Protection of the interest of the subscribers;

(b) Ease of doing business, optimum regulations and reduced cost of compliance while ensuring balance;

(c) Ensure transparency, enhanced disclosures and best practices of governance through the regulations;

(d) Risk management to strengthen the National Pension System architecture by the Authority; and

(e) Other relevant factors, if any.

9. Meetings of the Committee.

(1) The Committee shall meet at such intervals as it may deem appropriate.

(2) The quorum necessary for the transaction of business shall be two-third of the total strength of the Committee.

(3) The meetings shall be held at the head office of the Authority. Notice and agenda for the meetings shall ordinarily be circulated at least seven days in advance, by the convenor to the Committee.

(4) The minutes of the meeting shall be recorded in such form and manner as may be considered appropriate by the chair of the Committee.

(5) The convenor shall also act as secretary to the Committee.

(6) The Committee shall be provided with the adequate resources for carrying out its functions effectively.

10. Recommendations of the Committee.

(1) The Committee shall submit its recommendations to the Authority, on the proposed regulations or amendments to the regulations, as per regulation 8.

(2) Such recommendations shall be placed before the Pension Advisory Committee constituted under section 45 of the Act, along with the proposed regulations or any amendments thereto.

(3) The Authority may consider the recommendations submitted under sub-regulation (1) and the advice of the Pension Advisory Committee provided in accordance with section 45 of the Act, as it may deem fit.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

11. Urgent Regulations.

Where the Authority is of the opinion that certain regulations are required to be made or existing regulations are required to be amended or repealed urgently in the interest of the subscribers, it may make such regulations, amend or repeal the existing regulations or provisions thereof, as the case may be, without fully adhering to all or any of the requirements specified under these regulations.

DR. DEEPAK MOHANTY, Chairperson`

[ADVT.-III/4/Exty./063/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.26 22:54:38 +05'30'